न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, पाली संभाग, पाली
पीठासीन अधिकारी :–श्री हरफूलसिह यादव,आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :–281/2024
जी.सी.एम.एस नंबर :– 2024/281

अपीलाण्ट :– बनाम रेस्पोडेन्ट :–

सोहनलाल पुत्र श्री सूरजमल जी, जाति विश्नोई, निवासी साकड़, तहसील सांचोर, जिला जालोर ।

1 अंतरी साँची पुत्री खेराजराम पत्नी वीराराम जाति विश्नोई, रेजिडेंटकड़, तहसील सांचोर, जिला जालोर।

2 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांचोर, जिला जालोर ।

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध निर्णय दिनांक 29.11.2021 जो अपील संख्या 26/2019 में जिला कलेक्टर जालोर द्वारा पारित

उपस्थिति :–

1. श्री शंकरलाल गेहलोत, विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट।
2. श्री लाधुराम पुनिया , विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट।

:: निर्णय ::

दिनांकः– 29.11.2024

1. न्यायालय जिला कलेक्टर जालोर के अपील संख्या 26/2019 बअनवान अंतरी बनाम सोहनलाल निर्णय दिनांक 29.11.2021 से व्यथित होकर अपीलाण्ट ने द्वितीय अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

2. यह अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट्स को जरिये नोटिस से तलब किया गया।

3. बहस वकुलाय सुनी गई।

4. विद्वान अधिवक्ता वकील अपीलाण्ट ने बहस के दौरान अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि विद्वान न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो विधि के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

5. अपीलाण्टके अधिवक्ता ने अभिकथन कर निवेदन किया कि –

29.11.24
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

जिला कलेक्टर ने अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी एवं वाक्याती भूल की है।

जिला कलेक्टर के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत करने के कोई अधिकार रेस्पोडेन्ट को नही थे। रेस्पोडेन्ट द्वारा अपील के साथ अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्राप्त करने हेतु भी कोई प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया है। परन्तु जिला कलेक्टर ने सरसरी तौर पर अपील को निर्णित कर दिया ।

प्रथम अपील जाहिरा मियाद बाहर थी एवं अपील के साथ धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। अधिनस्थ न्यायालय ने मामले में अपील के साथ प्रस्तुत धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर कोई निर्णय नहीं दिया। जबकी अपील में गुणावगुण पर विचार करने से पूर्व मियाद के बिन्दू को निर्णित किया जाना कानूनन नितान्त आवश्यक था एवं मियाद के बिन्दू को निर्णित किये बिना अपील को गुणावगुण पर निर्णित ही नहीं किया जा सकता था। इस प्रकार जिला कलेक्टर द्वारा पारित आदेश अनाधिकार पूर्ण होने से निरस्त करने योग्य है।

नामान्तरकरण संख्या 1794 तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.05.2019 के आधार पर स्वीकार किया गया था जिस आदेश दिनांक 15.05.2019 को निरस्त किये बिना नामान्तरकरण संख्या 1794 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील में कोई अनुतोष रेस्पोडेन्ट को प्रदान नहीं किया जा सकता था । दिनांक 15.05.2019 का आदेश प्रभावी है उसके आधार पर स्वीकृत नामान्तरकरण को किसी भी सुरत में निरस्त नहीं किया जा सकता। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट द्वारा जो अपील नामान्तरकरण संख्या 1794 के विरूद्ध पेश की गई वह पोषणीय ही नहीं थी ।

तहसीलदार ने पंजीकृत वसीयत के आधार पर प्रकरण दर्ज कर मृतक खातेदार खेराज के नैसर्गिक वारिसान को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात विधिवत जांच करके वसीयत नामें के आधार पर नामान्तरकरण की स्वीकृति का आदेश दिया था। पंजीकृत वसीयतनामा आज दिन तक किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया गया है। पंजीकृत वसीयतना में को नजर अंदाज करते हुए कोई आदेश देने के जिला कलेक्टर को अधिकार नहीं थे परन्तु जिला कलेक्टर ने एक तरह से अपीलाधीन आदेश के जरिये पंजीकृ त वसीयतनामें को ही निरस्त कर दिया एवं नेसर्गिक वारिसान के नाम हिस्से तय कर नामान्तरकरण करने का आदेश पारित किया है। जबकी उन्हें ऐसा करने के कोई अधिकार नही थे।

प्रथम अपील न्यायालय ने पंजीकृत वसीयतनामे के दस्तावेज को पूर्णरूप से नजर अंदाज करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है। ऐसा आदेश पारित करने के जिला कलेक्टर को कोई अधिकार नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपील को ऐसे निर्णित किया है जैसे कि भूमि का खातेदार खेराज निर्वसीयत फौत हुआ हो

रेस्पोडेन्ट संख्या एक के अलावा नामान्तरकरण जैर अपील के विरूद्ध कोई अपील स्व० खेराज के किसी नैसर्गिक वारिसान द्वारा नहीं की गई क्योकि वे इससे एवं वसीयतनामें से पूर्णरूप से सहमत

29.11.24

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

थे। परन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या एक द्वारा प्रस्तुत अपील में नामान्तरकरण संख्या 1794 को पूर्ण रूप से निरस्त कर दिया गया ।

जिला कलेक्टर का अपीलाधीन आदेश कानून की नजर में कोई आदेश ही नही है। इस आदेश में न तो कोई कारण दर्शाये गये है एवं न किसी बिन्दू पर कोई निष्कर्ष दिया गया है। जबकी वर्तमान मामला टेस्टामेन्ट्री सक्सेशन का है एवं तहसीलदार द्वारा प्रथम दृष्ट्या पंजीबद्ध दस्तावेज को आधार मानकर आदेश पारित किया गया है। इसी वसीयतनामें के मामले में रेस्पोडेन्ट द्वारा एक फौजदारी भी प्रकरण दर्ज करवाया गया जिसमें पुलिस ने बाद अनुसंधान अंतिम प्रतिवेदन पेश कर दिया एवं वसीयतनामें की जांच करवा कर उसे सहीं पाया गया ।

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

गांव साकड़, तहसील सांचोर में कृषि भूमि खसरा नं० 937, 938, 238, 239, 240, 267, 268, 269, 270, 272, 273, 436, 545, 546, 547, 548, 979, 980, 981, 982, 247, 261, 262, 263, 265, 266, 274, 897/2331, 897/2332, 264, 248, 248/2146, 249, 275, 897/2356, 897/2357, 1049 स्थित है जिसके खातेदार खेराज पुत्र स्वरूप हुआ करते थे। उपरोक्त खसरान की भूमि में कुछ खसरे अकेले खेराज की खातेदारी में व कुछ खसरे सह खातेदारी में दर्ज थे। खेराज के कोई पुत्र नहीं हुआ एवं न उन्होंने किसी को गोद लिया। अपीलार्थी सोहनलाल उक्त खेराज का दामाद है एवं वर्षों से खेराज के साथ ही रहकर उनकी सेवा चाकरी करता था व परिवार की तमाम जिम्मेवारीयो का निर्वान किया। अपीलार्थी ने एक पुत्र की तरह खेराज के परिवार में उनके साथ रहकर अपने दायित्वो का निर्वाहन किया। अपीलार्थी का राशनकार्ड भी खेराज के साथ ही वर्षों से बना है। अपीलार्थी द्वारा की गई सेवा से प्रसन्न होकर खेराज ने उपरोक्त तमाम भूमि में जो की खेराजराम की स्वअर्जित थी उसमें अपने अधिकारो बाबत एक वसीयतनामा दिनांक 27.01.2014 को अपीलार्थी के पक्ष में निष्पादित कर उसका स्वेच्छा से उसका पंजीयन करवा दिया ।

वसीयतकर्ता खेराजराम की दिनाक 09.04.2019 को मृत्यू हो गई इस कारण वसीयतनामें के आधार पर तमाम अधिकार अपीलार्थी को अर्जित हो गये। अपीलार्थी ने वसीयतनामा के आधार पर तहसीलदार सांचोर के समक्ष नामान्तरकरण की कार्यवाही हेतु आवेदन किया जिस पर तहसीलदार ने प्रकरण दर्ज करते हुए मृतक खेराजराम की अन्य पुत्रीयों एवं पत्नी को सुनवाई हेतु नोटिस दिया तथा बाद सुनवाई दिनांक 15.05.2019 को वसीयतनामें के आधार पर नामान्तरकरण अपीलार्थी के नाम स्वीकार करने के आदेश दिये जिस पर पटवारी हल्का ने दिनांक 16.05.2019 को नामान्तरकरण भरकर राजस्व निरीक्षक से जांच करवाई जिन्होने अपनी टिप्पणी इस पर अंकित की व इसके पश्चात स्वीकृति हेतु नामान्तरकरण संख्या 1794 स्वीकृति हेतु तहसीलदार सांचोर के समक्ष पेश किया जिस नामान्तरकरण को तहसीलदार ने दिनांक 20.05.2019 को स्वीकार किया व इसके पश्चात इस नामान्तरकरण के आधार पर नामान्तरकरण इन्दाज परिवर्तन कर दिया गया।

29.11.24

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार की जावे, अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.11.2021 निरस्त किया जावे तथा रेस्पोडेन्ट संख्या एक द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील खारिज की जावे ।

वकील रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में अभिकथन किया है कि –

तहसीलदार सांचौर द्वारा खेराज पुत्र सरूपा के वास्तविक वारिसोनो की जांच न कर गलत आधारो पर नामान्तरकरण भरा गया है । आदेश खारीज योग्य है।

खेराज की मृत्यु के बाद खेराज की पत्नी जमना जीवित है तथा उसकी पुत्री मांगी, बाली, काली, पालू, केसी जीवित है, उक्त सम्पति पैतृक सम्पति होने के बाद नामान्तरण की कार्यवाही करते समय तहसीलदार, सांचौर को भूमि की वास्तविक स्थिति व मृतक खेराज के वारिसानो की जांच कर सही तरीके के नामान्तरण की कार्रवाही करनी थी परन्तु उनके द्वारा वसीयतनामे को आधार बनाकर गलत तरीके से कार्यवाही की गई है, किया गया आदेश विधि विरूद्ध होने से खारिज योग्य है।

तहसीलदार, सांचौर द्वारा नामान्तरण की कार्यवाही करते समय वसीयतनामा दिनाँक 21–1–2014 के आधार पर नामान्तरण की कार्यवाही करना बता रहे है उक्त वसीयतनामे में पेज संख्या–3 में उक्त आराजी स्वअर्जित सम्मति बताई गई है जबकि उक्त आराजी खेराज के पिता के नाम थी। उससे पहले खेराज के दादा के नाम उक्त सम्पति थी तथा उक्त सम्पति पेतृक होने के बावजूद प्रार्थी ने वसीयतना मे गलत तथ्य बताये गये थे तथा उक्त वसीयतनामा गलत तरीके से रजिस्टर्ड करवाया गया था। उक्त वसीयतनामे में गाँव के ही अनिल कुमार पुत्र झालाराम विश्नोई द्वारा साख दी गई है उन्हे भी इस भूमि के बारे में ज्ञात था कि उक्त भूमि पैतृक भूमि है तथा खेराज के वारिसान् है उनका भी हक हिस्सा बनता है। उक्त वसीयतनामे को तहसीलदार द्वारा न देखकर जल्दबाजी में उक्त नामान्तरणकरण की कार्यवाही की गई है। किया गया आदेश गलत होने से खारीज योग्य है।

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

उक्त नामान्तरण पारित करने से पूर्व पटवारी हल्का एवं अन्य कर्मचारियो को भेजकर खेराज के वारिसान एवं उक्त भूमि पैतृक या स्वअर्जित भूमि के बारे में पुराने राजस्व रेकर्ड को देखकर उचित आदेश पारित करना था तथा खेराज की पत्नी जीवित है उनके नाम नामान्तरण की कार्यवाही की जानी थी परन्तु तहसीलदार द्वारा ऐसा नही करने से किया गया आदेश खारिज योग्य है।

अपीलार्थीया को उक्त नामान्तरण की जानकारी नही थी उसके पिता की मृत्यु होने के बाद गांव में मेहमान वगैरा आने के कारण व्यस्त रही उसके बाद दिनांक 5–8–2019 को नामान्तरण भरवाने पटवारी हल्का सांकड के पास गई तथा अपने पिता की फौतगी नामान्तरण कार्यवाही करने का निवेदन किया तो पटवारी हल्का ने बताया कि सोहनलाल पुत्र सूरजमल के द्वारा वसीयतनामा पेश कियागया है उस वसीयतनामे के आधार पर नामान्तरण भर दिया है

28.11.24

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

अतः रेस्पोडेण्ट का निवेदन है कि नामान्तरण संख्या–1794 खारीज कर रेस्पोडेण्ट एवं रेस्पोडेण्ट की माता व बहिनो के नाम नामान्तरण की कार्यवाही किये जाने का आदेश प्रदान करायें।

6. प्रकरण में उभयपक्षो के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।वकील अपीलाण्ट का कथन है कि ग्राम साकड तहसीलद सांचौर में खेराज पुत्र स्वरूपा के नाम भूमि स्वअर्जित है । खेराज के पुत्र नही है । न ही किसी को गोद लिया है। अपीलार्थी खेराज का दामाद है। खेराज के साथ ही रहता है। सेवा से खुश होकर खेराज ने वसीयतनामा दिनांक 27.01.2014 पंजीकृत करवाया गया। खेराज की मृत्यु दिनांक 09.04.2019 को होने पर वसीयत के आधार पर बाद सुनवाई 15.5.2019 द्वारा तहसीलदार सांचौर ने नामान्तरण 1794 को दिनांक 20.05.2019 को स्वीकृत किया गया है। जिसकी प्रथम अपील जिला कलेक्टर जालोर के समक्ष म्युटेशन सं. 1794 को लेकर दिनांक 29.11.2021 जिला कलेक्टर, जालोर द्वारा बिना सोचे समझे प्रकरण को रिमाण्ड किया गया है। इस संबंध में वकील अपीलाण्ट ने न्यायिक दृष्टांत 2022(1) आरआरटी पेज 65, 2021 सीजीएल पेज 421, 2018(1) आरआरटी पेज 485, 2015(1) आरआरटी 369, पेश किये। वकील रेस्पोडेण्ट का कथन है कि जिला कलेक्टर, जालोर द्वारा निर्णय किया गया है वही न्यायोचित है। क्योकि खेराज के समस्त वारिसान को तहसीलदार, सांचौर द्वारा म्युटेशन भरते समय सुना जाना चाहिए था। निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है इसलिए निर्णय को यथावत रखा जावे।

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

7. पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषको की बहस पर मनन किया। तदानुसार इस न्यायालय का अभिमत है कि हस्तगत द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 भू.राज. अधि. द्वारा अपीलाण्ट का मूल आधार यह है कि सम्पति मृतक खैराज की स्वअर्जित सम्पति होना बताया है। अपीलाण्ट ने अपनी अपील के समर्थन में मिसल हकीयत संवत 2012 जमाबंदी 2017 दृष्टव्य पेश किये है। परन्तु इस बिन्दु पर कि अपीलाधीन समस्त भूमि स्वअर्जित है या नही विस्तारपूर्वक एवं ध्यानपूर्वक दोनो पक्षो को सुनकर एवं रिकार्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर इस निष्कर्ष पर पहुचा जाना है कि यह भूमि मृतक खैराज की स्वअर्जित है या नही । साथ ही अन्य बिन्दु यह है कि मृतक के अन्य वारिसान उसकी पत्नि व पुत्रियो का क्या कोइ विधिक हक है।

प्रकरण प्रथम अपील में वसीयत के आधार पर दर्ज नामान्तरण सं. 1794 के विरूद्ध प्रस्तुत होने पर पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया गया था। यह न्यायालय की प्रथम अपील के निर्णय को यथावत रखते हुए अपील खारिज करते हुए अपीलाण्ट को हिदायत दी जाती है कि वे संपति के स्वअर्जित होने के कथन के समर्थन में संबंधित दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सांचौर के समक्ष पेश करे एवं तहसीलदार को निर्देशित किया जाता है। कि वह इन सभी तथ्यो/दस्तावेजो का भली भांति अवलोकन करे तथा साथ ही अपील प्रस्तुत होते ही म्याद बाबत धारा 5 लिमिटेशन के बिन्दु पर

28.11.24

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

भी सर्वप्रथम अपना निर्णय पारित करे एवं तदुपरान्त प्रकरण में गुणावगुण र निर्णय पारित करे।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारीज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर जालोर के अपील संख्या 26/2019 निर्णय दिनांक 29.11.2021, बअनवान अन्तरी बनाम सोहनलाल के निर्णय को यथावत रखा जाता है।एवं निर्देशित किया जाता है कि म्युटेशन संख्या 1794 को खारीज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड इस निर्णय की प्रति के साथ माफिक निर्णय पालना करने हेतु पुनः लौटाया जावे। पत्रावली दर्ज फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 29.11.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे–इजलास सुनाया गया।

29.11.2024

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)